आदेश पत्रक

जिला– पटना सन्

केस का प्रकार दा० खा० वाद सं० 3918 सन् 2013-14

आदेश की क्र०सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

श्रीमती सरस्वती देवी पति-स्व० सहदेव सुरेश राम,

वल्द स्व० सहदेव लाल राम, ग्राम रामपुर पो०

थाना खगौल, जिला पटना, केवाला नं० उनयासि दिनांक

के आधार पर निम्नांकित जमीन का दाखिल–खारिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा	एराजी	लगान
मुसलपुर	36	270	622	0.44	4.30
आरपमपुर	39	161	167	0.06	
		117	127	0.18½	15.00
		109	139	0.07½	
		83	245	0.38½	
		76	07	0.21	
		117	107	0.15	
				1.06½	

मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन हेतु दें, आम महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक 5/12/13 को रखें।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी
दानापुर

अंचल अधिकारी
दानापुर

5-12-13 नोटिस का तामिला प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उनलोगों ने आवेदक के नाम दाखिल–खारिज करने की अनुशंसा किये हैं। फलतः उनके अनुशंसा के आधार पर दाखिल–खारिज की ~~स्वीकृति~~ दी जाती है। शुद्धि–पत्र निर्गत करें।

अंचल अधिकारी
दानापुर

अंचल अधिकारी
दानापुर

13/01/2014.

COURT OF BIHAR
Registration Case & Application Fee
PATNA SCORE, PATNA
COURT FEE
Authorization No. 2017
00000
JUDICIAL
BIHAR
375304
7032 1150765

Scanned by CamScanner

केश नम्बर - 3718/साल -2013-14 हल्का नम्बर 7 एवं 5 अंचल - दानापुर

ग्राम - मुस्तफापुर एवं आदमपुर राजस्व थाना नम्बर -36 एवं 37 जिला - पटना

मु० में जमीन रकबा - प्राप्त का जरिया - उत्तराधिकारी

जरशमन - कबाला - तिथि -

जमाबंदी रैयत का नाम	खाता	प्लौट	रकबा	लगान	मुस्तफापुर / आदमपुर जमाबंदी नम्बर 282/360 / 630
सहदेवलाल राय पिता-स्व०नारायण राय सा०-रामपुर, खगौल पटना	270	622	0.44	4.00 अन्ने	अं०अधमपुर प्रतिवेदित भूमि आवेदिका ने अपने पिता के मृत्यु उपरान्त बंदोबस्ती II में आपेक्षमान दर्ज करने हेतु आवेदन किये हैं। जमाबंदी रैयत को मात्र एक पुत्री ही है। भूमि रैयती है, शा०भू-दफबंदी भू-पात्र से मुक्त है एवं आवेदिका के दखल-कब्जे में है। अतः अग्रसारित पर स्थानीय स्तर राजस्व वसूली के हित में आवेदिका के नाम-सामान्य दाखिल की स्वीकृति दी जा सकती है।
		आदमपुर			
	161	167	0.06		
	117	127	0.18½		
	109	199	0.07½		
	151	124	0.19	16.00	
	83	245	0.38½		
	76	07	0.21		
	117	107	0.15		
			1.25½		
बचा हुआ रकबा					

नया जमाबंदी रैयत	खाता	प्लौट	रकबा	लगान	
श्रीमती सरस्वती देवी पिता-स्व०सहदेवलाल राय पति-स्व०सुरेश राय सा०-रामपुर, पोष्ट/था-खगौल पटना	270	622	0.44	4.00 अन्ने	ओंचा।
		आदमपुर			
	161	167	0.06		
	117	127	0.18½		
	109	199	0.07½	15.00 अन्ने	
	83	245	0.38½		
	76	07	0.21		
	117	107	0.15		
			1.06½		

राजकिशोर सिंह
13/01/2014

Scanned by CamScanner

Bol. XIV—F. No. 180V.

रसीद मालगुजारी।
नाम सर्कल। नाम मौजा मय
थाना वो थाना नम्बर।

वि० ग० प्रेस, नया।
फरद मालकी/फरद रैयती।
नाम रैयत मय वल्दियत जमाबन्दी वो सकूनत। नम्बर।

कानपुर	आदमपुर ३५	श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी [illegible]

मरफ़ी नगदी | बराजी भावली | पति | तफसील हिसाब लगान भावली।

०:८	स्व० [illegible] साo रामपुर पो० [illegible]

थोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

थोत बाबत २०१७-१८	सालाना	बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।	
माल-) (नगदी) गुजारी) (भावली)	१५-०					१५-०
सेस ...	१-२					१-२
*सूद ...	१-५					१-५
मुतफ़रकात ...	१-५					१-५
मीजान	१५-००					१५-००

तफसील अदायकारी।

जमाबन्दी बाबत। २०१७-१८	बकाया				मोताबक़ हाल।	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।		
माल-) (नकदी) गुजारी) (भावली)					१५-०	
सेस ...					१-२	
*सूद ...					१-५	
मुतफ़रकात ...					१-५	
मीजान अदायकारी					१५-०	८१५-०

(१) मीजान कुल (लफ्जों में) — पिचहत्तर रुपया मात्र
(२) नाम देहिन्दा — स्व०
(३) कुल बकाया —

कानूनगो के तारीख मलका तहसील के दस्तखत।

*बाब महाल का बकाया लगानगुजारी पर (जबकि ऐसे मौजों पर जिन पर कि बटाईदार जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

Scanned by CamScanner

अंचल पदाधिकारी का कार्यालय

गोपनीय प्रतिवेदन
16/7
3/11/18

भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र

नाम श्रीमती सरस्वती देवी पिता - स्व० शंकर दयाल राय पति स्व० सुरेश राय/कमलेश्वर राय

ग्राम रामपुर

थाना खगौल जिला पटना

ग्राम का नाम एवं थाना संख्या	तौजी संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा एकड़	रकबा डि०
आदमपुर 39		83	245	0-	38½

आदमपुर

शासन/रक्षित भूमि/वन/2359 पर

आवेदिका के नाम मौजा आदमपुर थाना

नं० 39 अहद के 83 खाते के 245 रकबा 38½ डि० भूमि का मालगुजारी रसीद

पंचानत & तेज विहीन है अवतक्रमि

इसकी अहद बंदी हस्तान्तरित है

आवेदक का हस्ताक्षर

सरस्वती देवी

कार्यालय अंचल अधिकारी

कर्मचारी का प्रति

अंचल पदाधिकारी का हस्

Scanned by CamScanner


FOUR RUPEES
FOUR RUPEES

भारत सरकार
FOUR RUPEES
भारत
FOUR RUPEES


तीन रुपया
THREE RUPEES
भारत
THREE RUPEES
तीन रुपया


तीन रुपया
THREE RUPEES
भारत
THREE RUPEES
तीन रुपया

THREE RUPEES भारत THREE RUPEES

स्टाम्प-4रुपया

नाममोकिर महादेवराय उर्फ महेश्वरी राय वल्दनारायण राय वैकुण्ठवास
जात यादव पेशा कास्तकारी साकिन रामपुर वुजुर्ग प्रगना
फुलवारी थाना दानापुर जिला पटना।

नाममोकिरअलेह महादेव रायवल्द नारायण राय वैकुण्ठवास
जात यादव पेशा कास्तकारी साकिन मौजा रामपुरवुजुरग
प्रगना फुलवारी थाना दानापुर जिला पटना

किसीमवसीका :- केवाला वयलीकला मी।

सही महादेवराय उर्फ महेश्वरीराय
वय लिखासोसही कागजपढवाकरसुन समझलियावा०खास
10र 3-61

Scanned by CamScanner

तायदादजरसमन

मोचलिग-750रुपया

तायदाद सयमोवइया

मवाजी 19-- 1 डि० सवा उनीस डिसमिल

मिनजुमला 58 4 डि० अराजी हकियत कास्त रैयती

नवदीयकेए कायमी वाके मौजा कैलीपुर पुरना फुलवारी

थाना वो सबरजिस्ट्री दानापुर सदर रजिस्ट्री

वो जिलापटना थानान०-39

तौजीन०-5172 खातान०-83 लगान2रुपया।

खसरान०अराजी चौहद्दी

245 19-- 1 डि०

मि०-58 4 डि० उ- नीज दिगर नम्बर

दखिन- अहरा

पुरव- जनक सिंह

प - खरीदार मजकुर

नाममालिक विहार सरकार बजरिये सर्किल औफिसर दानापुर।

चूं सयमोवइया अजान खास ममलुका व मकबुजा मनमोकिर है और बगुज दैन एलानी के हरतरह के नुक्स हकियत वगैरह से पाक वो साफ है अलहाल मोकिर कोजरूरत रूपया की वास्ते दैन चन्द महाजनान के है

इसलिये मोकि अलेह के हाथ बेचावो बयलाकलामी किया वो काबिज

सही महादेवराय उर्फ महेश्वरीरायवा०खास

30-3-61

Scanned by CamScanner

वणएवेणवैपण्यहणजवणवण्वेण्अएवयणेण्वएवेशण्हैप

काविज वो दखिलमालिक मुस्तखिलगरदानां चाहियेके काविज दखिल रहकर नाम अपना वजाय नाम मोकिर के वसिरिस्ते जमिन्दारी वगैरह मे दर्ज करालेवगैइसमे मोकिर व वारसान मोकिर को फिक कुछ उजुर ना होगा वलके जो कुछ हक मोकिर को था वह कुल हक आजकेतारीख से खरीदार को हासिल हुआ व अगर कास सयमोवइया जुज या कुल से खरीदारवेदखल होजावे तोअपने रूपया का मय खेसारा वतावान कानूनी लगाकर मोकिर के जात वो माल से नालिस करके वसुलकर लेवे

इसवास्ते यह वसीका वनाम वो वहक

सही महादेव राय उर्फमहेश्वरी राय

वा०खास

10-3-61

Scanned by CamScanner

मोकिरअलेह के लिख दिया केवक्तपरकाम आवे।

तहरीर तारीख 10 मार्च1961ई०

कातिव अहमद मसलम हुसैन साकिन शेरपुर वसीका मोकिर को पढ़ र सुनावो समझा दिया।

सही महादेवराय उर्फमहेश्वरी राय
वा०खास
10-3-61

टंक्क

गोविन्दशरण शर्मा
अदालत कचहरीपटना
दिनांक 11-10-14

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

INDIA

बिहार BIHAR

P 121754

Serial No. 10045

Deed No. 9785

Govt. of Bihar
Sub Registry Office ,Danapur
Summary of Endorsement

This document,was presented for registration on 27/10/2014 by Saraswati Devi
A Stamp Duty of Rs. 304800/- and other Fees of Rs. 20500/- has been paid in it.
The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as Deed No. 9785 in Book No. 1, Volume No. 195 on pages from 402 to 421 and has been preserved in total 20 pages in C.D. No. 30 / Year 2014

27/10/2014

Signature with Date
(Dhananjay Kumar Rao)
Registering Officer, Danapur

Date: 27/10/2014 Token No: 10125 /2014

SAI RAM REAL ESTATE (P) LTD.
Managing Director

उन्नयन मनोबंध

(Development Agreement)

यह विकास करार आज दिनांक 21माह अक्टूबर 2014 ई० को निम्नलिखित/ अग्रलिखित पक्षकारों के बीच निष्पादित किया जाता है

Scanned by CamScanner

चेक्ड — AAVCS0717K

7544008182

अंदर मो0---------- शब्दों में (रू0 ----------) मात्र

प्रथम प्रति

(जमाकर्त्ता हेतु)

(1)

बिहार सरकार

निबंधन विभाग . गैर मानक

दस्तावेजों के निबंधन के लिए जमा किये जाने वाले स्टाम्प शुल्क/ निबंधन शुल्क एवं भूस्वामी के निबंध शुल्क के भुगतान के लिए बैंक चालान

1. पक्षकार का नाम/ पता साईराम रियल एस्टेट बुलियन के प्रतिनिधि सुरेन्द्र
(जिसकी ओर से जमा किया जा रहा है) कुमार साह ओम शंकर नगर थाना पटना
2. दस्तावेज का प्रकार ---------
3. निबंधन कार्यालय --------- दानापुर
4. बैंक का नाम एवं शाखा --------- S.B.I दानापुर
5. भुगतान की जानेवाली राशि का विवरण :

भुगतान का मद एवं शीर्ष	रकम	कुल रकम
स्टाम्प शुल्क-मुख्य शीर्ष-0030-स्टाम्प एंव पंजीकरण-उप-मुख्य शीर्ष 02-स्टाम्प गैर न्यायिक लघु शीर्ष -103- दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क लगाना उप शीर्ष 0001 सकल प्राप्तियाँ प्राथमिक इकाई- 75 49 सकल प्राप्तियाँ विपत्र कोड-**R0030021030001, A/c No.- 10963226587**	303800	303800
निबंधन शुल्क-मुख्य शीर्ष-0030-स्टाम्प एंव पंजीकरण शुल्क उप मुख्य शीर्ष -03 पंजीकरण शुल्क, लघु शीर्ष-104-दस्तावेजों का पंजीकरण शुल्क-उप शीर्ष-0001, प्राथमिक इकाई 75 49 सकल प्रांप्तियाँ विपत्र कोड - **R0030031040001, A/c No.- 10963226576**	20000	20000
भूस्वामी शुल्क-मुख्य शीर्ष-0029-भू राजस्व लघु शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियाँ-उप शीर्ष -0006- अन्य मदें - प्राथमिक इकाई- 75 49 भूमि निबंधन शुल्क से आय विपत्र कोड - **R0029008000006, A/c No.- 10963226598**		

भुगतान का माध्यम : नगद/ चेक/ ड्राफ्ट कुल योग 323800

कुल राशि शब्दों में ----------

स्थान-दानापुर

तारीख-21-10-14

* चेक/ड्राफ्ट का विवरण पीठ पर अंकित करें।

* चेक/ड्राफ्ट की राशि अन्तरित होने के पश्चात ही मान्य होगी

जमाकर्त्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

FOR USE OF THE BANK

स्क्रॉल नं0---------- तारीख---------- उपर्युक्त कालम संख्या **05** में दिये गए विवरण के अनुसार रू0---------- / शब्दों में ---------- रूपये प्राप्त किया

प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

SBI DANAPUR Br.-01264

निबंधन हेतु सर्विस चार्ज * जमा करने का विवरण

एस्को लेखा सं0 : **A/c No. 30978446198**

जमा करने की तिथि :

बैंक स्क्रॉल सं0: ---------- बैंक की प्राप्ति एवं मुहर

* (दस्तावेज के पृष्ठ की संख्या +2) X रू0 25/-

Scanned by CamScanner

नाम लेख्यकारी:-श्रीमति सरस्वती देवी पिता- स्व.सहदेव लाल सह,पति-स्व.सुरेश राय, सा०-रामपुर,पो०+थाना-खगौल,दानापुर, जिला- पटना,पेशा –गृहस्थी, भारतीय नागरिक, जिन्हें आगे जमीन मालिक के नाम से संबोधित किया गया है !(जो शब्दावली प्रसंग के प्रतिकुल होने अथवा हटाये जाने की स्थिति को छोडकर उनके उतराधिकारी,निष्पादक,प्रशासक,हितबद्ध,उतराधिकारी को शामिल करेंगे)जिन्हें इसमें **प्रथम पक्ष** कहा गया है|

एवं

नाम लेख्यधारी:-मेसर्स साईं राम रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड , जो कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत,पंजीकृत है जिसका पंजीकृत संख्या-**U70102BR2013PTCO21650, PANNO.AAUCS0717K** जिसके प्रतिनिधि निर्देशक श्री सुरेन्द्र कुमार पिता स्व.जनार्दन प्रसाद सिंह, मोहल्ला –अभियंता नगर, थाना-रूपसपुर, जिला– पटना, कार्यालय –इन्द्रासन,प्रथम तल्ला,मित्रा विहार कॉलोनी पश्चिमी बोरिंग कैनाल रोड,पटना-**800001**(बिहार)जिन्हें आगे डेवलपर/ भवन निर्माता / उनन्यनकर्ता/ विकासक इत्यादी के नाम से सम्बोधित किया गया है, जिसमे उनके कार्यालय के अधिन्यासी, नामित प्रशासक निष्पादक एवं उतराधिकारी इत्यादि सम्मिलित है, जो इसमें द्वितीय पक्ष के रूप में वर्णितहै के बीच सम्पादित हुआ है|

संदर्भ

यह अनुसूची -1 में वर्णित जमीन, प्रथम पक्ष की रैयती जमीन है जो **1909-10** के कडेस्टरल सर्वे खतियान में राजकुमार महतो वल्द सगुन महतो वो रामअधीन महतो वल्द रमेसर महतो करके दर्ज है जिसका खाता-83,खेसरा-245,रकबा-58डेसीमल है|जिसे लेख्यकारी के दादा स्व.नारायण राय ने ज़माना अरसे पहले महतो

सरस्वती देवी
27/10/2014

SAI RAM REAL ESTATE (P) LTD.
Managing Director
27/10/2014

Scanned by CamScanner

जी वगैरह से खरीद किया था वो उनके मरने के बाद नारायण राय के तीन लड़के महादेव राय उर्फ़ महेश्वरी राय,सहदेव राय पिता लेख्यकारी,वो स्हेश्वर प्रसाद राय हुये,वो वर्ष 1958 में तीनो भाइयो ने आपसी बटवारा(खानगी बटवारा)अन्य दीगर सम्पति के साथ कर लिया वो उसका दाखिल ख़ारिज कराकर जोत आबाद करते चले आ रहे है की 1\3 के सह हिस्सेदार महादेव राय उर्फ़ महेश्वरी राय,ने अपने भाई सहदेव राय को खाता-83,खेसरा-245,रकबा-58 डेसीमल में आपसी बटवारा से प्राप्त 1/3 हिस्सा, 19-1/4 डेसीमल ज़मीन सन 10/03/1961 को अपने सह- हिस्सेदार सहदेव राय लेख्यकारी के पिता को बेच दिया ओ अन्य सम्पति के साथ सहदेवराय ने खाता-83,खेसरा-245,रकबा-38 डेसीमल का दाखिल ख़ारिज अंचल कार्यालय दानापुर से सन 1958 में कराकर जमाबंदी नंबर 38 वो 630 से लगान सरकार को देते आ रहे थे कि सहदेव राय की मृत्यु के बाद उनकी एक मात्र पुत्री लेख्यकारी श्रीमती सरस्वती देवी हुई वो 13/01/2014 को अंचल कार्यालय दानापुर के द्वारा दाखिल ख़ारिज केस संख्या-3918 सन 2013-2014 से लेख्यकारी के नाम से जमाबंदी नंबर-630 का कुल ज़मीन,मौजा-आदमपुर,थानानंबर-39,तौजी नंबर-5172 का दाखिल ख़ारिज कराकर ज़माबंदी नंबर-2359 से लगान देते चली आ रही है| जिसका नया सर्वे खतियान प्रथम पक्ष श्रीमती सरस्वती देवी के नाम से बना है जिसका नया खाता नंबर-229,खेसरा नंबर-97,रकबा-38 डेसीमल है| दाखिल ख़ारिज अंचल अधिकारी दानापुर के द्वारा कराकर जमाबंदी संख्या -2359 के द्वारा आज तक शांति पूर्वक दखल कब्जे में चले आ रहें हैं| वर्तमान में प्रथम पक्ष का नाम रजिस्टर-२ में दर्ज है उक्त भूमि पर मालिकाना हक व हैसियत से कायम है तथा खानगी बटवारा के बाद सन 1958 से यानि उसी

SAI RAM REAL ESTATE (P) LTD.
Managing Director
27/10/2014

Scanned by CamScanner

समय से जमीन मालिक अनुसूचित भू- खंड सहित अन्य भू-खंड पर शांति पूर्वक दखल कब्जा में जोतआवाद करते चले आ रही हैं|

यह की विकासक को जमीन मालिक अनुसूची-१ में वर्णित जमीन के सम्बन्ध में यह विश्वास दिलाया की जमीन हर प्रकार से पाक-साफ एवं स्वत्व, दोष या ऋण भार से मुक्त है| यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व, दोष या ऋण भार पाया जायेगा तो उसकी जिम्मेवारी जमीन मालिक पर होगी और उसके चलते होने वाले हर्जा-खर्चा तथा क्षति- पूर्ति भुगतान करने का दायित्व जमीन मालिक का होगा|यह की उभय पक्षों की सहमति से यह निर्णय लिया गया है की अनसुची-१ में वर्णित जमीन पर सक्षम प्राधिकार से प्रस्तावित बहुमंजिला ईमारत का नक्शा एवं प्लान स्वीकृत कराकर उसके अनुरूप बहुमंजिला इमारत का निर्माण करेंगे|

निम्नलिखित शर्तों एवं बंधनों पर किया जाय:-

१. यह की **द्वितीय** पक्ष ने प्रथम पक्ष की सहमती से यह तय किया की अनुसूची-१ की जमीन पर सक्षम प्राधिकार से प्रस्तावित भवन का नक्शा स्वीकृत कसकर उसके अनुरूप बहु-मंजिला इमारत का निर्माण करेंगें|

२ .यह की जमीन मालिक और **डेवलपर** के बीच इस सम्बन्ध में इस विलेख के निष्पादन के पहले से बातचीत चल रही थी और अब **डेवलपर** ने अंतिम रूप से यह निर्णय लिया है की वे उक्त सम्पति को उन्नयन के लिए ग्रहण करेंगें और जमीन मालिक को आश्वाशन दिया तथा आश्वस्त किया है की उक्त सम्पति का उन्नयन करने में किसी भी तरह से जमीन मालिक को क्षति नहीं पहुचाएंगें|

मुद्रे सरस्वती देवी

SAI RAM REAL ESTATE (P) LTD.
Managing Director

27/10/2014

Scanned by CamScanner

३.यह की उभय पक्ष सहमत हुआ की द्वितीय पक्ष यानि डेवलपर वचनबद्ध करते हैं की अनुसूचि-१ में वर्णित जमीन पर बहु-मंजिल इमारत की संरचना करेगें|

४.यह की जमीन मालिक एवं भवन निर्माता ने यह भी तय किया की भवन के अंतिम रूप से निर्माण के पश्चात सम्पूर्ण शिखर का व्यवहार उक्त इमारत के स्वामियों द्वारा बनाये गये उभय पक्ष के सदस्य ही करेंगें|

५.यह की जमीन मालिक एवं भवन निर्माता द्वारा यह भी तय किया गया की सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत प्रस्तावित निर्माणाधीन हिस्से में जमीन मालिक का 50%(पचासप्रतिशत)एवं भवन निर्माता50%(पचासप्रतिशत) हिस्सा पर निर्मित क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र,फ्लैट इत्यादी का होगा|

६.यह की **डेवलपर** ने स्वीकार किया है की भवन प्रथम कोटि का होगा और उन्नत इमारत में प्रयुक्त सभी सामान बिना मिलावट के और दीर्घ **टिकाऊ** गुणवत्ता वाले लगाये जायेगें|

७.यह की उभय पक्षों के बीच परस्पर घोषणा और प्रतिनिधिRo के द्वारा बातचीत के सफलस्वरूप **डेवलपर** द्वारा उक्त जमीन के उन्नयन के लिए किया गया एकरारनामा शर्तों एवं बंधनों के साथ अंकित किया है|

८.यह की जमीन मालिक **डेवलपर** को यह स्वीकृति **nsrs** हैं की **डेवलपर** उक्त जमीन को उन्नत करने के लिए ठेकेदार से उन शर्तों और बंधनों पर मनोबंध करेंगे,जो इस एकरारनामा में वर्णित है|

९..यह की जमीन मालिक इस पर भी सहमत है की **डेवलपर** वास्तुकार (Architect)द्वारा निर्मित प्लान सक्षम प्राधिकार को विकासक अपने हस्ताक्षर से अपनी ओर से जमा कर देंगें और भवन प्लान की स्वीकृति प्राप्त करेंगें| उपरुक्त कार्य से सम्बंधित

SAI RAM REAL ESTATE (P) LTD.
Managing Director

Scanned by CamScanner

खर्च का भुगतान डेवलपर करेंगें वो जहाँ – जहाँ जमीन मालिक को कागजी कारवाही हेतु जरुरत होगी वहाँ सारे कार्य डेवलपर करेंगे|

१०.यह की इस मनोबंध के निष्पादन के बाद डेवलपर वो उनके कर्मचारियों, अभिकर्ताओं, कारिगरों, अभियंताओ एवं मजदूरों को उक्त सम्पति में प्रवेश करने की अनुमति होगी ; जिससे विभिन्न विकास पूर्ण कार्य तथा नक्शा और योजना का निर्माण जैसे कार्य कर सकेंगें|

११..यह की डेवलपर प्राकृतिक विपदा और डेवलपर के शक्ति के नियंत्रण के बाहर के कारणों को छोडकर जिससे उक्त सम्पति और निर्माण का कार्य प्रभावित हो, को छोड़कर उन शर्तों और बंधनों पर जो एकरारनामा में वर्णित है कार्य पूरा करेंगे|

१२.यह की इस विकास एकरारनामा के बाद डेवलपर उक्त जमीन पर बनाये जाने वाली इमारत का नक्शा, स्वरुप और आकृति तैयार करने जिसमे किए जाने वाले कार्य का विनिर्देश तथा प्रयोग किये जाने वाले सामानों जो प्रथम कोटि के होने चाहिए, के लिए एक वास्तुकार की निउक्ति करेंगें| इस पर होने वाले सभी खर्च और वास्तुकार को दी जानेवाले पारिश्रमिक डेवलपर द्वारा दिया और वहन किया जायेगा | यह भी तय हुआ की डेवलपर उक्त जमीन का उन्नयन कर अधिकतम अनुमान्य एफ .इ .आर सुनिश्चित करेंगें और तदनुसार उन्नयन योजन बनायीं जायेगी और भवन स्वीकृति सक्षम प्राधिकार को भेजी जायगी |

१३.यह की प्राकृतिक विपदा और डेवलपर की शक्ति के नियंत्रण के बाहर के कारणों को छोडकर जिससे उक्त सम्पति और निर्माण कार्य प्रभावित हो, भवन निर्माण की समय सीमा रजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट की तिथि से 4 वर्ष 6 माह होगी|भवन निर्माण के उपरांत विकासक जमीन मालिक को उनका हिस्सा सौप देंगे |उक्त अवधि में अगर जमीन मालिक का हिस्सा नहीं

SAI RAM REAL ESTATE (P) LTD.
Managing Director

Scanned by CamScanner

मिलता है तो जमीन मालिक द्वारा डेवलपर को ६ (छह) माह का अतिरिक्त समय निर्माण हेतु दिया जायेगा ,उक्त अवधि में निर्माण कार्य पूरा नहीं होने पर जमीन के हिस्से का प्रति फ्लैट 5000 /- रुपया प्रतिमाह भुगतान डेवलपर करेंगे !

१४.यह की जमीन मालिक एवं विकासक दोनों समहत और वचनबद्ध है की बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनयम २००६ धारा ५ (१) एवं ५(२) तथा अन्य सभी प्रावधानों एवं नियमों को पालन करेंगें और अधिनयम के अनुरूप भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद विकासक / सम्प्रवार्तक एवं भू- स्वामी होंगे तथा वे अपने- अपने हिस्से के निरपेक्ष स्वामी होंगें तथा वे अपने- अपने हिस्से को पृथक रूप से बेचने / अंतरण करने के हक़दार होंगे और उसका नियमाकुल सक्षम निबंधन कार्यकाल में निबंधन करेंगें जिसमे उक्त अधिनयम एवं नियम का पालन किया जायेगा|विकासक जब तक ज़मीन मालिक के हिस्से के निर्माण को पूरा ओ फिनिश कर ज़मीन मालिक को भौतिक दखल नहीं देंगे,तब-तक ज़मीन मालिक अपने हिस्से का खरीद बिक्री नहीं कर सकेंगे परन्तु जमीन मालिक अपने हिस्से का फ्लैट डेवलपर के माध्यम से बेच सकते है !या अपने पास रख सकते है उसमे डेवलपर को अवरोध करने का कोई अधिकार नहीं होगा , परन्तु डेवलपर द्वारा जमीन मालिक के पूर्ण हिस्से का निर्माण पूर्ण रूप से करके पहले जमीन मालिक को दखल कब्ज़ा सौपेंगे उसके बाद ही डेवलपर अपने हिस्से पर किसी को दखल कब्जा सौपेंगे ,विकासक अपने हिस्से का क्षेत्र बंधक रखकर ऋण ले सकेंगें और विक्रय के लिए एकरारनामा करेंगें| जिसमे जमीन मालिक का क्षेत्र सम्मिलित नहीं होगा|

१५.यह की जमीन मालिक इस बात से भी सहमत हैं की उपरोक्त प्रस्तावित भवन में अपने हिस्से के निर्मित फ्लैट/ परम निर्मित

सही हस्ताक्षर देवी
27/10/2014

SAI RAM REAL ESTATE (P) LTD.
Managing Director
Security Given
27/10/14

Scanned by CamScanner

सेवा कर का भुगतान सम्बंधित प्राधिकार को जमा कर पायेंगें|

१६. यह की जमीन पर सम्पूर्ण इमारत का उन्नयन कार्य पूर्ण होने पर डेवलपर बिक्री योग्य निर्मित इमारत के प्रमुख क्षेत्र का आनुपातिक आधार पर जमीन मालिक को 50% प्रतिशत सुपुर्द कर देंगें, प्रत्येक कोटि के घरों/ फ्लैटों, पर अर्थात वे फ्लैट जो उक्त विकसीत और निर्मित इमारत के प्रमुख अंग होंगें जिसमे डेवलपर या उनके नामित आनुपातिक रूप से उनको 50% प्रतिशत हिस्से के भागीदार होंगे| विकासक इकठ्ठे/ सम्मिल्लित तौर पर प्रथम पक्ष आपसी सहमती / सहुलियत के आधार पर आपस में बंटवारा करेंगें |नक्शा स्वीकृति के पश्चात भवन निर्माण होने पर मंजिलों में बढोतरी का संशोधित नक्शा यदि अनुमोदित होता है तो वैसी स्थिति मे निर्माण कार्य विकासक द्वारा पूर्ण करने पर उपर्युक्त अंकित अनुपातिक हिस्से के अनुसार जमीन मालिक भी हक़दार होंगें और उसी अनुपात में क्रेताओ का प्रति फ्लैट अनुपातिक जमीन में बदल जायेगा|

१७ .यह की यथावर्णित 'जमीन मालिक का क्षेत्र' पर जमीन मालिक को 50% प्रतिशत का अधिकार होगा|किन्तु, फ्लैटों में "जमीन मालिक का क्षेत्र " का निर्धारण आपसी मेल-जोल से होगा तथा सम्मिलित क्षेत्र अर्थात घर, रास्ता, पम्प घर, जेनेरटर घर, वाहन क्षेत्र, लिफ्ट स्थान, प्रहरी घर, सम्मिलित "शौचालय एवं सम्मिलित उपयोग की अन्य चीजों जमीन मालिक और डेवलपर दोनों द्वारा आनुपातिक एवम् समान रूप से उपयोग की जायेगी और व्यतिगत रूप से इसपर किसी का दावा नहीं रहेगा |

१८.यह की डेवलपर को उक्त जमीन के उन्नयन का अधिकार होगा जिसका उन्नयन वे उस पर इमारत / फ्लैट बनाकर, कार पार्किंग

SAI RAM REAL ESTATE (P) LTD.
Managing Director

Scanned by CamScanner

स्थान और जो सम्बंधित प्राधिकार से स्वीकृत नक्शा की शर्तों और बंधजों के अनुसार करेंगें अथवा उक्त उद्देश्यके लिए जमीन मालिक डेवलपर को जरूरत पड़े तो वैसे सभी कार्य (Acts,Deeds, Matters) को करने के लिए डेवलपर को अधिकृत करते हैं जिसमे खास बातें निम्नवत है|

क. यह की विकासक उक्त जमीन पर सम्बंधित सक्षम प्राधिकार के नियमो एवं परिनियमों के अनुसार अपने हस्ताक्षर से प्रस्तावित इमारत की योजना एवं नक्शा तैयार कर अपने हस्ताक्षर से अनुमोदित के लिए सक्षम परियोजना की स्वीकृति के लिए उन्हें जमा करेंगें और अनुमोदन प्राप्त करेंगें|

ख. यह कि इमारत तथा परियोजना के लिए सर्वेयर,इंजिनियर, ठेकेदार, मजदूर और अन्य लोगों की नियुक्ति करना|

ग. यह कि पानी, बिजली, और अन्य सुबिधाओं के लिए सम्बंधित आधिकारियो को आवेदन करना तथा सीमेंट, लोहा और अन्य भवन निर्माण सामग्री के लिए सरकारी कोटा के परमिट के लिए आवेदन करना|

घ. किसी भी याचिका नोटिस या अन्य कानूनी प्रक्रीया प्राप्त करना और जमीन मालिक की ओर से न्यायालय में किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट, tribunal, या अन्य के समक्ष उपस्थित होना साथ ही किसी न्यायालय, सरकारी अधिकारी, या tribunal के समक्ष उक्त सम्पती से सम्बंधित किसी मामले, मुकदमा| में उपस्थित होना, बचाव करना, मुकदमा दायर करना, सभी आवश्यक कागजात पेश करना एवं वकालतनामा दायर करना| ये सभी काम डेवलपर अपने खर्च पर करेंगें|

च. यह कि जमीन मालिक एवं विकासक अपने- अपने हिस्से का फ्लैट एवं अन्य सुविधा जैसे कार पार्किंग स्पेस किसी भी खरीददार को पूर्ण रूप से बेच सकते हैं|

SAI RAM REAL ESTATE (P) LTD.
Managing Director

27/10/2014

Scanned by CamScanner

छ. यह कि इमारत में फ्लैट, Tenementsआदि खरीदने वालों को अपने फ्लैट Tenements के एवज में आर्थिक संस्थानों से ऋण लेने के लिए डेवलपर को इमारत में अपना हिस्सा बंधक रखना|

ज. यह कि डेवलपर को यह अधिकार होगा कि वे अपने 50% प्रतिशत हिस्से को सीधे अथवा सहकारी समितियों द्वारा बेचने, आवंटित करे और उनके पक्ष में खरीदारों के नाम विक्रय पत्र निष्पादित करे|

ब. – यह कि जमीन मालिक ने स्वीकार किया है कि यदि डेवलपर उक्त परियोजना से सटे या उसके आस –पास कि जमीन पर कोइ दुसरे या एकत्रित परियोजना का विस्तार करे तो उन्हें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी एवं उसका रास्ता इसी परियोजना से हो सकता है|

ट- यह कि डेवलपर को अधिकार होगा की वे पूर्वोक्त जमीन का उन्नयन उस पर एक या अनेक भवन, फ्लैट, पार्किंग स्थान और अन्य Tenements इमारत के नक़्शे के अनुसार बनाकर करेंगें और उन्हें बेचेंगें, आवंटित करेंगें अथवा निरस्त करेंगें जैसी जरुरत हो, वैसा करेंगें ऐसा अधिकार उन्हें "डेवलपर क्षेत्र " के निर्माण पर होगा जिसे वे जिसे उचित समझे बेचें और ऐसे फ्लैट Tenements पार्किंग स्थान का मूल्य वसूले| और अपने खाते में अपने लिए रखें|

ढ- यह कि पूर्वोत्तर जमीन पर प्रस्तावित इमारत के लिए योजना को सम्बंधित प्राधिकार के नियमों के अंतर्गत तैयार कर इसे प्राधिकार के आधिकारियो द्वारा स्वीकृत कराने के लिए आवेदन तथा वचनबधताओं को गैर डेवलपर चाहें तो जमीन मालिक ऐसे सभी आवश्यक योजनाओ विशिस्टइयों,घोषणाओ, शपथ-पत्रों और अन्य क़ानूनी अथवा Statutory कागजातों को अन्य

श्रीमती सरस्वती देवी

SAI RAM REAL ESTATE (P) LTD.

Saraswati Devi 27/10/2014

Managing Director

10/14

Scanned by CamScanner

अधिकारियों से स्वीकृत कराने के लिए हस्ताक्षर करने पर सहमत हैं|

१९. **यह की जमीन मालिक घोषणा करते हैं :-**

1.यह कि जमीन मालिक को उक्त जमीन से सम्बंधित इसके अधिग्रहण या अधियाचना के लिए कोई नोटिस या अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है और उन्हें इसका उन्नयन करने या कराने के लिए अधिकार है|

2.यह कि उक्त जमीन से सम्बंधित इस जमीन या इसके किसी हिस्से पर कोई दावा मांग,निषेधाज्ञा,संलग्नता किसी करारो पर अधिकारी, राजस्वअधिकारी या सरकार अथवा स्थाई नेताओ या अधिकारिओं द्वारा नहीं है|

3. यह कि उक्त जमीन से सम्बंधित कोई मनोबंध या \व्यवस्था नहीं चल रहा है अगर **डेवलपर** को किसी ऐसे व्यवस्था का पता चले तो **डेवलपर** को यह मनोबंध रद्द करने और इसका पूरा खर्च बैंक दर पर सूद के साथ जमीन मालिक से वसूल करने का अधिकार होगा|

4.यह कि जमीन मालिक के आलावा उक्त जमीन पर और किसी का कोई अधिकार, हिस्सा या हक नहीं है और जमीन मालिक किसी बेनामी जमीन मालिक के बनामिदार नहीं हैं | जमीन मालिक उक्त मनोबंध के तहत कुल ,राजी जमीन विकासक को नापी में उपलब्ध करेंगें| अगर नापी में जमीन कम आएगी तो उस परिस्तिथि में निर्मित / उन्नत फ़्लैट एवं अन्य क्षेत्र में उसी अनुपात में जमीन मालिक का हिस्सा भी कम हो जायेगा|

V.यह कि जमीन मालिक ने घोषणा की है की उक्त जमीन पर कोई दायित्व या आभार नहीं है और अगर उस पर कोई झूठा दावा करता है तो जमीन मालिक इस दावे को अपने खर्च पर

SAI RAM REAL ESTATE (P) LTD
Managing Director

Scanned by CamScanner

चुनौती देंगें एवं किसी प्रकार की क्षति की स्थिति में जमीन मालिक डेवलपर को क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य होंगें|

6.यह कि उक्त जमीन के अधिकार से सम्बंधित किसी भी न्यालय में मुकदमा नहीं चल रहा है और कोई भी शुल्क या कर इस विलेख के लिखे जाने तक बाकी नहीं है और अगर इसकें पूर्व कोई टैक्स या शुल्क बकाया हो तो जमीन मालिक उसका भुगतान करेंगें|

7. यह कि जमीन मालिक उक्त जमीन के हस्तांतरण, अंतरण के उद्देश्य से मनोबंध हो जाने के बाद प्रस्तावित इमारत में डेवलपर सहित किसी समिति के हिस्से को सौंप देंगें और जमीन मालिक वचनबद्ध है की वे पूर्वोक्त घोषणाओ के विरुद्ध कोई काम या कार्यवाही नहीं करेंगें|

8.यह कि जमीन मालिक को उन्नयनकृत संपत्ति में अपने हिस्से को बेचने पट्टा पर देने अथवा निबंटन करने का अधिकार निर्माण कार्य पूर्ण करने पर होगा|

२०.उचित अधिकार सहित इन प्रावधानों के अंतर्गत डेवलपर निर्मित भवन में इमारत के अपने हिस्से के क्षेत्र का बिक्री करने, बिक्री के लिए एकरारनामा करने अथवा बंधक रखने का पूर्ण अधिकार धारित करते हैं|

२१.इस उन्नयन मनोबंध की शर्तों के अनुपालu के साथ दोनों पक्षों के बीच यह स्पष्ट सहमति हुई है की डेवलपर इमारत में निर्मित क्षेत्र का 50% प्रतिशत बिक्री योग्य हिस्से को डेवलपर उनके नामित के पक्ष में उक्त ढंग से हस्तान्तिरित करने के लिए डेवलपर सभी कदम उठाएंगें एवं सम्पूर्ण खर्च का वहन करेंगें|

२२. डेवलपर उक्त जमीन का उन्नयन साईं राम रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से करेंगें और भवन निर्माता तथा जमीन मालिक का हिस्सा सहित सम्पूर्ण इमारत का नाम साईं एन्क्लेव होगा और पार्किंग स्थान सहित सारा निर्माण खर्च केवल डेवलपर

साईं राम रियल एस्टेट दे॰ली॰
27/10/2014

SAI RAM REAL ESTATE (P) LTD.
Managing Director
27/10/14

Scanned by CamScanner

द्वारा वहन किया जायेगा तथा केवल डेवलपर ही सरकार, या अन्य सक्षम प्राधिकार एवं अन्य अधिकारिओं के प्रति इस जमीन के उन्नयन के लिए जवाब देय होंगें|

२३.जमीन मालिक अपनी सहमति और वचनबद्धता व्यक्त करते हैं की वे डेवलपर के पक्ष में इस मनोबंध की शर्तों एवम बंधजो के अनुरूप उक्त जमीन के उन्नयन से सम्बंधित सभी आवश्यक कार्य करने के लिए जमीन मालिक की ओर से विकासक को प्राधिकृत करते हैं जो अपने हिस्से की जमीन बिक्री के निमित ,करारनामा इत्यादी निष्पादित करेंगें|

२४. इस उन्नयन मनोबंध के तथा इससे सम्बंधित सभी खर्च जिसमें हस्तांतरण का स्टाम्प खर्च और निबंधन खर्च शामिल है, डेवलपर या उनके नामित द्वारा वहन किया जायगा|

२५. इस मनोबंध की शर्तों के अनुसार उक्त जमीन पर प्रस्तावित इमारत में बिक्री योग्य निर्मित क्षेत्र पर अधिकार एवं हित के अतिरिक्त जमीन क्षेत्र पर अधिकार एवं हित के अतिरिक्त जमीन मालिक को परम निर्मित क्षेत्र तथा, गवाक्ष, सीढ़ीघर, रास्ता, लिफ्ट, पानी की टंकी, जेनेरेटर कमरा, खुली जगह, वाहन पार्किंग स्थान और सभी सामूहिक क्षेत्र पर भी जमीन मालिक का समानुपातिक अधिकार होगा|

२६. डेवलपर सक्षम प्राधिकार के नियम,परिनियम और कानुनो का द्रिढता से पालन करेंगें और सर्वदा किसी क्षति, दावा, मांग जो नियमों और कानूनों के उल्लंघन से उन्नत हो उससे डेवलपर जमीन मालिक को क्षतिपूर्ति करेंगें|

२८. इमारत की योजना में डेवलपर सभी सामान्य (Civil),बिजली , प्लंबिंगएवं सैनिटरी कार्यों जिसमे भूमिगत एवं उपरी टंकी, पानी व्यवस्था, नल पम्प, गृह सेवा आदि शामिल है वे स्वीकृति योजना के अनुसार शामिल होगा|

श्रद्धी अग्रवाल देवी
27/10/2014

SAI RAM REAL ESTATE (P) LTD.
Sanjay Kumar
Managing Director
27/10/14

Scanned by CamScanner

२९. यह की विकासक को यह भी अधिकार होगा की इस विकास एकरारनामा में निहित जमीन पर बहुमंजिला इमारत की संरचना स्वयं अथवा अन्य या अपने सहयोगी/ अनुशंसित विकासक इकाई से कराने में जमीन मालिक को कोई आपत्ति न होगा, हर हालत में भवन की संरचना एवं जमीन मालिक के हिस्से का निर्मित क्षेत्र सुरक्षित रहना चाहिए|

३०. भवन निर्माण के दौरान अगर किसी मजदूर अथवा किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति होती है तो डेवलपर इसकी पूरी जवाबदेही लेंगें, जमीन मालिक को इसके लिए जिम्मेवार नहीं माना जायेगा|

३१. प्रस्तावित इमारत अन्य सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत हो रहे वास्तुशिल्प के विशिस्टयो के अनुसार निर्मित होगी|

३२.यह कि जमीन मालिक प्रथम पक्ष को नन कि राशि कुल 60,00,000/-(साठ लाख रूपये)इस रजिस्टर्ड अग्रीमेंट से 18 माह के भीतर डेवलपर दे देंगे वो इसका समायोजन नहीं किया जायेगा|

सम्पति का विवरण:-अनुसूची -1

अंतर्गत मौजा – आदमपुर,थाना वो सब-रजिस्ट्री-दानापुर,जिला वो सदर रजिस्ट्री –पटना,तौजी संख्या-5172,थाना संख्या-39,थाना-दानापुर,परगना–फुलवारी, ,खाता संख्या-83,खेसरा संख्या-245, एराजी 38.1/2 डेसीमल, अंतर्गत जमाबंदी संख्या -2359,जिसका विवरण निम्नलिखित है|

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
83	245	38.5 डेसीमल

जिसका नया सर्वे, खाता संख्या-229,खेसरा संख्या-97,रकबा-38 डेसीमल|

यही सरवाना दी

27/10/2014

SAI RAM REAL ESTATE (P) LTD.

Managing Director

27/10/14

Scanned by CamScanner

जिसकी चौहदी निम्न है:-

उत्तर:-हाल खरीदार।

दक्षिण:- सहायक सड़क।

पूरब:-पप्पू सिंह

पश्चिम:-हिमालयऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कॉलेज।

यह कि उपरोक्त सम्पति पूर्ण रूप से आवासीय है जिसका कुल एराजी 38.1/2 डेसीमल है ,जिसका सरकारी द्वारा निर्धारित मूल्य कुल 92,40,000/-रु बानबे लाख चालीश हज़ार,वो नन की राशी 60,00,000/-साठ लाख यानि कुल मूल्य 1,52,40,000/-एक करोड़ बावन लाख चालीश हज़ार रुपया है।

श्रीमती सरस्वती देवी 27/10/2014

अनुसूची -२

सम्पूर्ण फ्लैट के क्षेत्र का संक्षिप्त वास्तुशास्त्रीय एवं ढांचागत विवरण:-

ढांचा :-लिंग भूकंप अबरोधी स्ट्रक्चर डिजाईन के अनुसार।

Civil कार्य :- प्रथम कोटि का सीमेंट, ईट , बालू एवं मसाला

परिसजन :- अंदर के क्षेत्र एवं बाहर के क्षेत्र में वाल्पुती एवं बाहर से वेदर कोट पेंट से पुती होंगी।

सरिया :- टाटा टिस्कान

गिट्टी :- कोडरमा

ईट :-प्रथम कोटि का

SAI RAM REAL ESTATE (P) LTD.
Managing Director

Scanned by CamScanner

सीमेंट :- लाफार्ज,कंक्रीटऔ

दरवाजे -- उच्च कोटि का प्लाई बोर्ड, ३२ ऍम.ऍम. मोटा फैक्ट्री निर्मित फल्स डोर चैनल फ्लैट का मुख्य दरवाजा का होगा|

खिरकिया :- एल्मुनिम की खिरकी|

फर्श :-Vetrified टाइल्स.

शौचालय :- मुख्य शयन कक्ष से जुड़े एक शौचालय में गर्म पानी का नल, सफ़ेद गलेज़ टाइल्स से ७' की उचाई तक सभी शौचालय का साजो समान आई. एस.आई. ब्रांड का उपयोग होगा, किचेन एवं बाथरूम का जमीन संगमरमर का होगा|

भंडार घर :-निर्मित वार्डरॉब प्लेट जिसमे उपर्युक्त लकड़ी के काम के लिए जगह होगा|

कॉमन प्लेस :-सीढ़ी पर कोटर टाइल्स|

पार्किंग :- सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग|

रसोई घर :-ग्रेनाइट का कार्यकारी प्लेटफार्म तथा स्टील का सिंक, कार्यकारी प्लेटफार्म से ३६ 'ऊँचा रंगीन Glzed टाइल्स|

बिजलीव्यवस्था :-मानक बिजली सामग्री के साथ Concealed पी.वी.सी.Conduit wiring, मुख्य शयन कक्ष में A|.C. पॉइंट|

श्रीमती सरस्वती देवी

27/10/2014

SAI RAM REAL ESTATE (P) LTD.

Managing Director

27/10/14

Scanned by CamScanner

अन्य :-लिफ्ट, जेनेरेटर एवं सिक्युरिटी गार्ड। उपरोक्त Specification में promoters/architect द्वारा निर्मित कुछ फेर बदल संभव है। लेकिन यह दोनों पक्षों के सहमती से होगा।

यह की यह एकरारनामा दोनों पक्षों ने अपनी पूर्ण स्वस्थ मानसिक स्थिति स्थिति में सोंच-समझकर निम्नलिखित गवाहों के समक्ष लिख दिया कि समय पर काम आवे एवं प्रमाण रहे।

प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर

शस्वती देवी
27/10/2014

द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर

SAI RAM REAL ESTATE (P) LTD
Managing Director

27/10/2014

साक्ष्यगण

1. [illegible]

2. ता: 27.10.014

निखिल कुमार
पिता - श्री सुरेश प्रसाद
ग्राम - शमपुर
थाना - खगौल
जिला - पटना
तारिख - 27/10/2014

प्रारूपकर्ता
रविन्द्र कुमार
रविन्द्र कुमार
ला.न०-254/02
निबंधन कार्यालय दानापुर
पटना

27/10/2014

Scanned by CamScanner